

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. परियोजना विवरण :-

- (i) **अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।**
मेसर्स मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि., सिकंदराबाद द्वारा धमरजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना हेतु कुल रकबा 6.69 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है। परियोजना क्रेडा द्वारा अक्षय उर्जा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- (ii) **1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।**
संलग्न है।
- (iii) **परियोजना की लागत।**
6242.00 (लाख)
- (iv) **वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।**
8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना हेतु
- (v) **लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)**
आवश्यक नहीं है।
- (vi) **रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।**
रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे

2. कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना हेतु कक्ष क्रमांक PF 385 रकबा 2 हेक्टर, तथा राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 1355/ 1क/1 1375/1क/1, 1379/1क, रकबा 4.69 हेक्टर, कुल 6.6 हेक्टर अपेक्षित है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

निरंक

(i) परिवार की संख्या।

निरंक

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक

(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

नहीं है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) आवश्यक नहीं है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।
चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

(रोहित श्रीवास्तव)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)


ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON

मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि.,

सिकंदराबाद

तिथि :-

स्थान:- 

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या -

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाये)